भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 666
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल कृषि मिशन से किसानों को फायदा
666. श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री रामप्रीत मंडलः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) बिहार राज्य में अब तक डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है;
(ख) बिहार के किसानों के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है; और
(ग) सरकार उन किसानों को किस प्रकार सहायता प्रदान करती है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के सृजन जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, व्यापक सॉइल फर्टीलिटी और प्रोफाइल मैप एवं केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने के लिए प्रारंभ की गई अन्य आईटी पहलें शामिल है। इसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए नवीन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और वे विश्वसनीय बनेंगे। फसल संबंधी जानकारी सभी किसानों को समय पर उपलब्ध होगी। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत रजिस्टर या डेटाबेस जैसे जियो-रेफरेंस विलेज मैप, बोई गई फसल का रजिस्टर और किसान रजिस्ट्री शामिल हैं तथा ये सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किए जाते हैं।

डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत राज्य किसान रजिस्ट्री में महिला किसानों सहित सभी भूमिधारक किसानों को शामिल किया गया है। किसान रजिस्ट्री आवेदन में बटाईदार और पट्टेदार किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान है। राज्य अपने बटाईदार और पट्टेदार किसानों से संबंधित नीति के अनुसार ऐसे किसानों को किसान रजिस्टर में शामिल करने का निर्णय ले सकता है। दिनांक 30.01.2026 तक 8.39 करोड़ से अधिक किसान पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिनमें बिहार राज्य की 28.62 लाख किसान पहचान-पत्र शामिल हैं। इसके अलावा, खरीफ 2024 में, 604 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) आयोजित किया गया है, जिसमें 28.5 करोड़ से अधिक भूखंड शामिल हैं, जिनमें बिहार के 38 जिलों के 1.54 करोड़ भूखंड भी शामिल हैं।

(ख) सरकार द्वारा बिहार राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 138.6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार एग्रीस्टैक के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही है, जैसे कि

i. राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
ii. किसान पहचान-पत्र और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर।
iii. परियोजना निगरानी यूनिट के गठन हेतु मानव संसाधन भर्ती हेतु सहायता।
iv. परियोजना कार्यान्वयन हेतु क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना।
v. डिजिटल फसल सर्वेक्षण के संचालन हेतु निधि उपलब्ध कराना।
vi. राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने हेतु निधि उपलब्ध कराना।
vii. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना की घोषणा की है, जिसके लिए कुल 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
viii. इसके अलावा, सरकार ने राज्यों को शिविर-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है, जिसके तहत राज्यों को जमीनी स्तर पर शिविर आयोजित करने और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति शिविर 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
ix. किसान रजिस्ट्री के सृजन और सत्यापन में तीव्रता लाने के लिए, पीएम किसान योजना के प्रशासनिक कोष से प्रत्येक किसान आईडी के लिए 10 रुपये का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि का उपयोग किसान रजिस्ट्री के सृजन में शामिल फील्ड कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(ग): स्मार्टफोन अब सभी के लिए उपलब्ध और सुलभ होते जा रहे हैं, और भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने अपनी सेवाओं के साथ देश के लगभग प्रत्येक कोने तक पहुंच बना ली है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं कि जिन किसानों के पास मोबाइल फोन नहीं हैं, वे भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। ऐसे किसान एग्रीस्टैक पर पंजीकरण करा सकते हैं और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि सखियों और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) जैसी मौजूदा सहायता सुविधाओं का उपयोग करके सेवाएं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकारें शिविरों का आयोजन भी कर रही हैं ताकि कोई भी किसान एग्रीस्टैक के लाभों से वंचित न रह जाए। सरकार भाषिनी प्लेटफॉर्म के एकीकरण के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में डिजिटल एप्लिकेशन भी उपलब्ध करा रही है।

****